यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र/ सरफेसी/20/2024

एच डी एफ सी बैंक लि0 श्रेत्रीय कार्यालय विद्याधर नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

....प्रार्थी/प्रतिभूमि लेनदार

बनाम

1. यादराम पटेल एण्ड सन्स, पता– न्यू यूको बैंक, न्यू मंडी भरतपुर
2. श्री नाथ सिहं पुत्र विज्जन सिहं निवासी– नागला गुर्जर धनवाडा, कुम्हेर, भरतपुर

......अप्रार्थी/ऋणी/सहऋणी

3. सुमन देवी पत्नी श्री नाथ सिहं निवासी– नागला गुर्जर धनवाडा, कुम्हेर, भरतपुर

.....गारंटर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनान्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है बंधक संम्पति का कब्जा सुपुर्दगी वावत।

———

आदेश **दिनांक 18.07.2024**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्व अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 29.05.2021 को राशि रू. 40,00,000/– (अक्षरे चालीस लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने श्री नाथ सिहं के स्वामित्व एवं आधिपत्य की अचल सम्पत्ति, आवासीय प्लाट नं0 247, बजरंग नगर, 75 बीघा बाहर कुम्हेर गेट, भरतपुर जिला भरतपुर में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 160.84 वर्गगज है । जिसके पूर्व में प्लाट नं. 246, पश्चिम में प्लाट नं. 248, उत्तर में अन्य भूमि, दक्षिण में 30 फीट चौडी रोड स्थित है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी0 द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 20.09.2023 को एन.पी.ए. (अनर्जक परिसंपत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक द्वारा बकाया ऋण राशि मय ब्याज एवं अन्य खर्चे, कुल बकाया राशि रू. 42,92,427.02/– (अक्षरे बयालीस लाख बानवे हजार चार सौ सत्ताईस रूपये दो पैसे मात्र) को जमा कराये जाने हेतु एक्ट की धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 08.03.2024 को जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 08.03.2024 अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी0/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने श्री नाथ सिहं के स्वामित्व एवं आधिपत्य की अचल सम्पत्ति, आवासीय प्लाट नं0 247, बजरंग नगर, 75 बीघा बाहर कुम्हेर गेट, भरतपुर जिला भरतपुर में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 160.84 वर्गगज है। जिसके पूर्व में प्लाट नं. 246, पश्चिम में प्लाट नं. 248, उत्तर में अन्य भूमि, दक्षिण में 30 फीट चौडी रोड स्थित है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर